

e-samadhan



कार्या.आअ.सं. ईडी/ /2021
सं.ईडी/58/3/1भाग-3

मंडल रेल प्रबंधक कार्यालय रतलाम
दिनांक :- 01.02.2021

कार्यालय आदेश

विषय:- रेलवे आवास रोकने की अनुमति बाबत।

संदर्भ:- 1) श्रीमती कला बेन पत्नी स्व. श्री रमेश राठोड, सामान्य सहायक अधीन ADEN/S/DHD का आवेदन दिनांक 28.01.2021.

2) ईडी/949/2 दिनांक 19.01.2021.

सक्षम अधिकारी द्वारा श्रीमती कला बेन पत्नी स्व. श्री रमेश राठोड, सामान्य सहायक अधीन ADEN/S/DHD, जिनका दुखद निधन दिनांक 13.01.2021 को हो जाने के फलस्वरूप स्वर्गवासी कर्मचारी को दाहोद मे आवंटित रेलवे आवास सं. 337/EF को 24 माह के लिये दिनांक 13.01.2021 से 12.01.2023 तक सामान्य दर पर रेलवे आवास को रोकने की अनुमति प्रदान की है।

इससे आगे अनाधिकृत रूप से आवास को नहीं रोका जाये, अन्यथा पूल इंचार्ज द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाये। यदि इससे आगे आवास रोका जाता है तो अनाधिकृत कब्जा मानकर नियमानुसार कुर्सी क्षेत्रफल (प्लिथं एरिया)दर से वसूली की जाये ओर आवास खाली कराने की कार्यवाही पूल इंचार्ज द्वारा आरंभ की जाये। अनाधिकृत रूप से आवास रोके जाने के फलस्वरूप स्व. कर्मचारी के परिजन का प्रत्येक माह के अनुसार एक मानार्थ पास बंद किया जाये।

(दीपक परमार)

मंडल कार्मिक अधिकारी

कृते वरि. मंडल कार्मिक अधिकारी

रतलाम

प्रतिलिपि

मं.रे.प्र./अ.मं.रे.प्र

व.मं.वि.प्र./व.मं.का.अ./स.का.अ./ ADEN/S/DHD

मु.का.अ.-ईडी/ईयू/वेतन/निपटारा,

मु.का.अ.-ADEN/S/DHD, कर्मचारी एवं कल्याण निरीक्षक

श्रीमती कला बेन पत्नी स्व. श्री रमेश राठोड, सामान्य सहायक अधीन ADEN/S/DHD

मंडल मंत्री:- वेरेमसं, वेरेएयू, अजा-अजजा एवं ओबीसी एसो. रतलाम मंडल

उक्त आदेश ई-समाधान पर उपलब्ध है।